महीपाल

राँची महाधर्मप्रान्त का मासिक पत्र

सन्त फ्रान्सिस जेवियर,
राँची महाधर्मप्रान्त के संरक्षक

September 2018 No. 1

महाधर्माध्यक्ष का संदेश

मेरे प्रिय मसीही भाइयो और बहनो,

आपलोग जानते हैं कि संत पिता फ्रान्सिस ने मुझे राँची का महाधर्माध्यक्ष नियुक्त किया है। संत पिता ने इसकी घोषणा 24 जून 2018 को की। तारीख 6 अगस्त 2018 को माता मरियम के निष्कलंक गर्भागमन महागिरजाघर में पवित्र मिस्सा समारोह के समय राँची के महाधर्माध्यक्ष के रूप में पदास्थापन किया गया। मेरे पूर्ववर्ती महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल तेलेस्फोर पी॰ टोप्पो ने राँची महाधर्मप्रांत का उत्तरदायित्व मुझपर सौंप दिया। भारी संख्या में आये पुरोहितों, धर्मसंघी भाई-बहनों और लोकधर्मियों के अलावा 4 महाधर्माध्यक्षों और 19 धर्माध्यक्षों ने इस समारोह में भाग लिया। सम्प्रति महाधर्मप्रांत के सभी पुरोहितों से व्यक्तिगत रूप से अवगत होना मेरे लिए आवश्यक है। इस ध्येय को मन में रखते हुए सर्वप्रथम मैं पाँचों डीनरीज़ का भ्रमण करूँगा। तत्पश्चात् सुविधा के अनुसार प्रत्येक पल्ली में जाने का प्रयत्न करूँगा। इस क्रम में लोकधर्मी भी मुझसे परिचित होंगे।

मैं आप सबको प्रोत्साहित करता हूँ कि ईश्वर के प्रति अपने विश्वास, भरोसे और प्रेम में अटल बने रहिए। सुसमाचारी मूल्यों के अनुसार जीने का प्रयत्न कीजिए। जहाँ तक संभव हो, धार्मिक अनुष्ठानों, विशेषकर मिस्सा-पूजा में, भक्तिपूर्वक भाग लीजिए। पवित्र माता कलीसिया की सेवा और अपने ज़रूरतमंद पड़ोसियों की मदद कीजिए। साथ-साथ समय के चिन्हों को पहचान कर सबकी भलाई के लिए यथोचित सही कदम लीजिए।

सितम्बर की आठ तारीख को हमारी कलीसिया संत कुंवारी मरियम का जन्म दिवस मनाती है। हम कैथोलिक विश्वासियों के जीवन में माता मरियम का विशेष स्थान है। माता मरियम यद्यपि संत जोवाकिम और संत अन्ना की पुत्री थी, परन्तु वास्तव में ईश्वर ने उसकी सृष्टि संपूर्ण ब्रह्माण्ड के भी पहले की थी। उसने उसे अत्यंत सुंदर, पवित्र और निष्कलंक बनाया, क्योंकि उसकी योजना थी कि वह उसके पुत्र की माता बने। प्रभु येसु की माता मरियम ईश्वर की माता है और हमारी भी माता है। वह हर क्षण, हर पल हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। लूर्द्स, फातिमा, ग्वादालूपे, गाराबण्डल आदि स्थानों पर दर्शन देकर माता मरियम ने लोगों को पाप से दूर रहने और ईश्वर की आज्ञाओं को पालन करने का संदेश दिया। हम माता मरियम के प्रति यथोचित भक्ति दिखायें और उनकी महिमा गाएँ।

आज हमारे देश के राजनैतिक परिवर्त्तन के साथ सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक मान्यताओं, संविधान प्रदत्त मानवीय अधिकारों आदि पर व्यापक नाकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं। ईश्वर प्रदत्त मानवीय सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का परम कर्त्तव्य है। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए जल, जंगल और जमीन की भी रक्षा करनी है। अत: हमें सतर्क और सजग रहने की नितांत आवश्यकता है। राजनैतिक लाभ के लिए कलीसिया के भले कामों को नज़रअंदाज करके इस पर झूठे इल्जाम लगाये जा रहे हैं। विदेश से प्राप्त राशि से धर्मपरिवर्त्तन करने का आरोप लगा कर प्रशासन हमारे दस्वावेजों को जबरन जमा करके जाँच कर रहा है। अखबार कागजों में कलीसिया के विरुद्ध झूठी और अपमानजनक बयानबाजी की जा रही है। सरना और मसीही आदिवासियों के बीच विभाजन लाने की कोशिश की जा रही है।

ऐसी परिस्थिति में देश और समाज की भलाई के लिए एकता में रहने, सही निर्णय लेने और ठोस कदम लेने की ज़रूरत है। साथ-साथ हमें चाहिए कि हम व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामुदायिक रूप से समस्याओं के निवारण के लिए प्रार्थना करें।

आपका सेवक और मित्र,

+फेलिक्स टोप्पो, ये॰सं॰

(केवल निजी वितरण के लिए)

पुरोहितों की परिषद्/अधिसभा का चुनाव
राँची महाधर्मप्रान्त

प्रति,
सभी धर्मप्रान्तीय और धर्मसंघी पुरोहितगण
राँची महाधर्मप्रान्त

प्रिय एवं आदरणीय पुरोहितगण,

कलीसियाई कानून के अनुसार जरूरी है कि हम पुरोहित परिषद् का चुनाव करें, अर्थात् पुरोहितों का वह दल जो धर्मप्रान्त के समस्त धर्मवृद्ध पुरोहितों का प्रतिनिधित्व करे और कि वे धर्माध्यक्ष के सीनेट के तौर पर कमोबेश कार्य करें। (दे॰ कलीसियाई कानून 495.1) "गुप्त मतदान पृष्ठों" पर कार्य करने से पहले कृपया उक्त परिषद्/अधिसभा के निम्नलिखित व्यावहारिक निर्देशों (दे॰ कलीसियाई कानून 495-501) को समझ लें:-

1) पुरोहितों की परिषद्/सीनेट का उद्देश्य धर्माध्यक्ष की विधिसम्मत सहायता करना है ताकि ईशप्रजा के मेषपालीय कल्याण को अधिक प्रभावी ढंग से बढ़ावा दिया जा सके।
2) पुरोहितों की परिषद्/सीनेट को परामशदातृ शक्ति प्रदान की गई है। केवल ऐसे मामलों में धर्माध्यक्ष उसकी सहमति लेने के लिए बाध्य है जिन्हें कलीसियाई कानून में परिभाषित किया गया हो।
3) पुरोहितों की परिषद्/सीनेट की बैठक को धर्माध्यक्ष बुलाते, बैठक की अध्यक्षता करते और विचार-विमर्श की विषयवस्तु निर्धारित करते हैं। पुरोहितों की परिषद्/सीनेट की बैठक सामान्यत: साल में दो बार होगी।
4) परिषद्/सीनेट के सदस्यों की कुल संख्या धर्मप्रान्त के पुरोहितों की कुल संख्या का लगभग दसवाँ हिस्सा होगी। इसकी लगभग आधी संख्या का चयन पुरोहितों के स्वतंत्र मतदान द्वारा होगा। शेष सदस्यों का मनोनयन धर्माध्यक्ष विशेष जरूरतों, क्षेत्रों और प्रेरिताई को ध्यान में रखकर करते हैं।
5) 'धर्मप्रान्त में समाविष्ट पुरोहित और धर्मप्रान्त में रहने एवं उसके हित में किन्हीं पदों पर आसीन पुरोहित -- अर्थात् उक्त धर्मप्रान्त में असमाविष्ट धर्मप्रान्तीय पुरोहित अथवा धार्मिक संस्थाओं अथवा प्रेरितिक जीवन के समाज के सदस्य पुरोहितों को सक्रिय और निष्क्रिय दोनों मताधिकार प्राप्त हैं। अर्थात् वे मतदान करने और चुने जाने के अधिकारी हैं। इस क्रम में कलीसियाई कानून 498.1.2 का पालन किया गया है। उनमें से कुछ पदेन सदस्य भी होंगे।
6) उक्त पुरोहितों के अलावा कलीसियाई कानून 498.2 कहता है कि 'जहाँ तक प्रदत्त संविधि की बात है, वैसे पुरोहितों को भी मतदान की शक्ति उपलब्ध रहेगी जिनकी स्थिति सम्बद्ध धर्मप्रान्त में अधिवास अथवा अर्द्ध अधिवास की हो'। और सम्बद्ध धर्मप्रान्त में अधिवास अथवा अर्द्ध अधिवास करने वाले किन्हीं पुरोहिती धर्मसंघों के पुरोहितों को भी ऐसा अधिकार उपलब्ध रहेगा। इस सम्बन्ध में उक्त पुरोहित के सक्षम उच्चाधिकारी अथवा स्थानीय अधिकारी की अनुशंसा जरूरी होगी।
7) परिषद्/सीनेट के सदस्य पुरोहितों का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा।
8) परिषद्/सीनेट के सदस्यता के लिए होने वाले चुनाव में प्रतिभागियों के वैयक्तिक गुणों, अनुभव और निर्णय-निपुणता पर गौर करना उचित होगा। साथ ही साथ प्रेरिताई की विविधताओं और धर्मप्रान्त की क्षेत्रीय विशिष्टताओं पर गौर किया जाये।
9) चुनाव-पद्धति निम्न प्रकार की होगी :

आप गुप्त मतदान पत्रों को सक्रिय और निष्क्रिय पुरोहितों के नामों की तालिका के साथ संलग्न पायेंगे। कृपया सूची में उपलब्ध पुरोहितों में से केवल 10 नामों की क्रमसंख्या पर गोलाकार रेखांकन कर दें। सूची में उपलब्ध सर्वाधिक मत प्राप्त 10 पुरोहित चयनित माने जायेंगे। शेष सदस्यों को मैं मनोनीत करूँगा। गुप्त मतपत्रों को यथाशीघ्र, बल्कि 1 अक्टूबर 2018 से पहले, इस पते पर भेजा जाये -- The Secretary, Archbishop's House, Dr. Camil Bulcke Path, Ranchi-834 001. (JH) डाक सेवा की संदिग्धता को देखते हुए मतपत्रों को व्यक्तिगत सेवा द्वारा पहुँचाया जाये। प्रार्थनामय शुभकामनाओं सहित,

प्रभु में आप सबका,

1 सितम्बर 2018

+ फेलिक्स टोप्पो, ये॰सं॰
राँची के महाधर्माध्यक्ष

संकलित समाचार

वियन्नी दिवस

अगस्त 4, शनिवार. सन्त जोन मेरी वियन्नी के आदर में आज सुबह 6.30 बजे राँची स्थित सन्त मरियम महागिरजाघर में महामहिम कार्डिनल तेलेस्फोर पी॰ टोप्पो की अध्यक्षता में समारोही पवित्र मिस्सा सम्पन्न हुआ। ज्ञातव्य है कि आर्स के पल्ली पुरोहित के नाम से बिख्यात 18वीं शताब्दी का यह महान सन्त पल्ली पुरोहितों का संरक्षक है। गायक दल द्वारा सुरुचिपूर्ण संगीतमय सहयोग के साथ सम्पन्न इस पवित्र मिस्सा के बाद पल्ली में कार्यरत पुरोहितों का अभिनन्दन किया गया। पल्ली परिसर में स्थित पुरोहित आवास में याजकवृन्द और काथलिक लोकधर्मी संगठनों के पदधारियों के लिए जलपान की व्यवस्था थी। शाम को सन्त अलबर्ट सेमिनरी के छात्रों और पुरोहितों के बीच एक फुटबॉल मैच खेला गया जिसे युवा सेमिनरी छात्रों ने जीता।

नये महाधर्माध्यक्ष का पदग्रहण सम्पन्न

अगस्त 6, सोमवार. आज सुबह सन्त मरियम के निष्कलंक गर्भागमन महागिरजाघर में अति मान्यवर फेलिक्स टोप्पो, ये॰स॰, का राँची के महाधर्माध्यक्ष पद पर पदस्थापन हुआ। भारत के लिए वाटिकन राजदूत के प्रतिनिधि, मोनसिन्योर जेवियर डी॰ फर्नान्डेज जी॰ ने तत्सम्बन्धी परमधर्मपीठीय आदेशपत्र को विश्वासी समुदाय के समक्ष विधिवत् प्रदर्शित किया, फिर उसे मूल लाटिन

भाषा में पढ़कर सुनाया। उक्त आदेशपत्र के हिन्दी अनुवाद को राँची के पल्लीपुरोहित, श्रद्धेय फादर थेओदोर टोप्पो ने पढ़कर सुनाया, क्योंकि इसे विश्वासी समुदाय को समझाये जाने का निर्देश है। महामहिम कार्डिनल टोप्पो ने गड़ेरिये के डंडे को नवनियुक्त महाधर्माध्यक्ष के सुपुर्द किया। यह क्रिया मेषपालीय उत्तरदायित्व के हस्तान्तरण का प्रतीक है। दोनों सहयोगी धर्माध्यक्षों (माननीय तेलेस्फोर बिलुंग, एस॰वी॰डी॰ और माननीय थेओदोर मस्कारेनस, एस॰एफ॰एक्स॰), धर्मप्रान्तीय और धर्मसंघी पुरोहितों, धर्मसंघी भाई-बहनों एवं लोकधर्मी प्रतिनिधियों ने क्रमशः नवनियुक्त महाधर्माध्यक्ष की मेषपालीय अंगूठी का चुम्बन कर उनके प्रति विश्वासी समुदाय की वफादारी का इजहार किया। इसके बाद श्रद्धेय फादर सेबास्तियन तिर्की के संयोजन और अति मान्यवर फेलिक्स टोप्पो की अध्यक्षता में समारोही खीस्तयाग आगे बढ़ा।

कुल 5 महाधर्माध्यक्षों, 19 धर्माध्यक्षों, 150 पुरोहितों, बड़ी संख्या में महिला और पुरुष धर्मसंघियों, एवं लोकधर्मियों ने मेषपालीय उत्तरदायित्व के इस हस्तान्तरण को देखा। पूजन विधि अवसर के अनुरूप समारोही थी। पवित्र मिस्सा के प्रारम्भ में याजकवर्ग को नाच-गान के साथ वेदी तक पहुँचाया गया। श्रद्धेय फादर तिर्की ने आगन्तुक महाधर्माध्यक्षों और धर्माध्यक्षों का परिचय विश्वासी समुदाय से कराया।

समस्त महाधर्मप्रात में स्वतंत्रता दिवस सम्पन्न

अगस्त 15, बुधवार. सारे महाधर्मप्रात में भारत का स्वतंत्रता दिवस और माता मरियम का स्वर्गाद्ग्रहण महोत्सव धूमधाम से सम्पन्न हुआ। सन्त मरियम महागिरजाघर में 6.30 बजे प्रातः महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो की अध्यक्षता में समारोही मिस्सा पूजा का अनुष्ठान हुआ। उन्होंने उपस्थित समुदाय के साथ महागिरजाघर के प्रांगण में राष्ट्रीय ध्वजोत्तोलन किया। सारे महाधर्मप्रात में ऐसे समारोह हुए। सहायक धर्माध्यक्ष तेलेस्फोर बिलुंग ने लीवन्स विद्यालय सिमिलिया के प्रांगण में यह समारोह सम्पन्न किया। किन्हीं पल्लियों में मित्रवत् फुटबॉल मैच होने की खबर है। हुलहुंडु स्थित दिव्य ज्योति क्लब ने फा॰ नोवस स्मारक टूर्नामेन्ट का आयोजन किया। वर्ष 1980 में आरम्भ यह टूर्नामेन्ट अब लोकप्रिय बन चुका है। यह फुटबॉल टूर्नामेन्ट नगर की चर्चित प्रतियोगिताओं में से एक है। इस वर्ष कुल 18 टीमों ने इसमें भाग लिया और सेरसा क्लब ने टाई-ब्रेकर द्वारा इस टूर्नामेन्ट पर कब्जा जमाया। फा॰ नोवस स्मारक फुटबॉल क्लब धर्म, जाति और नस्ल से परे अत्यधिक नशा सेवन, बालश्रम, डाइन-बिसाही जैसी सामाजिक कुरीतियों के निवारण पर भी काम करता है।

बिशप जोसेफ मिंज की मृत्यु

अगस्त 17, शुक्रवार. आज सिमडेगा धर्मप्रान्त के भूतपूर्व धर्माध्यक्ष, माननीय जोसेफ मिंज के पार्थीव शरीर को सन्त अन्ना महागिरजाघर, सिमडेगा के परिसर में दफना दिया गया। लम्बे समय से बीमार चल रहे बिशप मिंज का देहावसान कल सुबह 7.30 बजे शान्ति भवन मेडिकल सेन्टर, बीरू में हुआ था। स्वर्गीय बिशप की उम्र 86 वर्ष थी। उनका पुरोहिताभिषेक 10 अगस्त 1960 को और धर्माध्यक्ष अभिषेक 24 अगस्त 1993 को हुआ था। वर्ष 2008 में वे सेवानिवृत हुए थे। दफ़न के पवित्र मिस्सा अनुष्ठान के समय छः धर्माध्यक्षों, अनेक पुरोहितों और धर्मसंघियों सहित शोक संतप्त विश्वासियों से महागिरजाघर भरा हुआ था। स्थानीय धर्माध्यक्ष, माननीय भिन्सेंट बरवा के अनुरोध पर महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो ने उक्त पवित्र मिस्सा का नेतृत्व किया। भक्तिपूर्ण प्रार्थनाओं और भक्तिगान के बीच गुमला के धर्माध्यक्ष, माननीय पौल लकड़ा ने अन्तिम धर्मविधि सम्पन्न की।

मसीही गैरसरकारी संस्थाओं ने एफ॰सी॰आर॰ए॰ उल्लंघन के आरोपों को नकारा

अगस्त 19, रविवार. एफ॰सी॰आर॰ए॰ उल्लंघन के आरोपों से संत्रस्त मसीही समुदाय के प्रतिनिधि मण्डल ने महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो के नेतृत्व में झारखण्ड सरकार के मुख्य सचिव को आज एक हस्ताक्षरित स्मार पत्र सौंपा। (इसकी प्रतिलिपि मुख्य गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को भेजी गई।) स्मार पत्र में मसीही गैरसरकारी संस्थाओं द्वारा कथित तौर पर एफ॰सी॰आर॰ए॰ के उल्लंघन के आरोपों पर कहा गया है कि पिछले 25 दिनों में करीब 62 काथलिक गैरसरकारी संस्थाओं ने ऐसी सूचना पायी है। लगभग सभी मामलों में माँग की गई है कि सम्बन्धित सूचना/दस्तावेजों को "24 घन्टों अथवा दो दिनों के भीतर" सम्बद्ध विभाग को सौंप दिया जाये। प्रतिनिधि मण्डल ने बताया कि ऐसे ही फरमान जिला पुलिस, आतंकवाद रोधी दस्ता और अपराध अन्वेषण विभाग से भी प्राप्त हुए हैं। स्मार पत्र में दावा किया गया है कि "जवाब के लिए अत्यन्त कम वक्त दिये जाने पर भी हमने आज्ञा का पालन किया और अधिकाँश मामलों में अपेक्षित सूचना/दस्तावेजों को समय पर सौंपा।" ज्ञातव्य है कि मामला एफ॰सी॰आर॰ए॰ से सम्बन्धित होने के बावजूद सरकार के तीन अन्य विभाग भी इस पर जाँच पड़ताल कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त पिछले 7-8 महीनों के दौरान सुनियोजित मीडिया अभियान द्वारा चर्च पर धर्मान्तरण के लिए विदेशी फंड के विचलन का अभियोग लगाया जाता रहा है। कोचाँग, खूँटी में पाँच महिलाओं के सामुहिक बलात्कार की सर्वथा असम्बद्ध घटना को साजिश के तहत विवादास्पद पत्थलगड़ी के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि ईसाई मिशनरियों को उसके कारक के रूप में उलझाया जा सके। इस मामले में 11 संगीन अपराधों के झूठे आरोप लगाकर एक काथलिक पुरोहित को गिरफ़्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। जब से पारम्परिक पत्थलगड़ी के अन्तर्गत आदिवासी गाँवों में रोपे गये पत्थर की आदमकद पाटी पर आदिवासी अस्मिता और उनकी जमीन की सुरक्षा से सम्बन्धित भारतीय संविधान में संचित प्रावधानों का उल्लेख होने लगा, तभी से मीडिया का एक बड़ा घटक आदिवासियों की इस पुरातन परम्परा को देशद्रोही गतिविधि साबित करने पर तुला हुआ है। अलबत्ता, इस विषय पर कोई सरकारी दिशा निर्देश अथवा कानूनी व्याख्या अबतक नहीं आयी है।

निर्मला शिशु निकेतन के बच्चों का मामला : चैरिटी धर्मबहनों द्वारा हिनू में संचालित निर्मला शिशु निकेतन के 22 बच्चों को 6 जुलाई को झारखण्ड सरकार की बाल कल्याण समिति (सी॰डबलयू॰सी॰) द्वारा बलपूर्वक हटाये जाने के बाद हाल में उनमें से तीन बच्चों की मृत्यु कथित तौर पर शरीर में जलाभाव और कुपोषण के कारण होने की सूचना स्वतंत्र स्रोतों से मिली है। इससे पहले मीडिया की सनसनीखेज रिपोर्टिंग से चैरिटी धर्मबहनों द्वारा किये जा रहे मानवता के बहुचर्चित सेवाकार्यों पर बट्टा लगाने का अभियान चलाया गया जिससे बाल कल्याण समिति द्वारा आश्रय संस्थाओं पर छापे डालने का माहौल तैयार हो जाये। महाधर्माध्यक्ष टोप्पो के नेतृत्व में झारखण्ड के मुख्य सचिव से मिले प्रतिनिधिमंडल

ने दुर्भाग्यपूर्ण दोषारोपण की शिकार चारिटी सिस्टर को "निर्दोष" घोषित किया। स्मरणीय है कि उक्त दु:खद घटनाक्रम के कुछ ही समय पहले राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा, श्रीमती कल्याणी शरण ने एक निरीक्षण के बाद चैरिटी धर्मबहनों द्वारा संचालित संस्था निर्मल हृदय में "सभी कुछ अच्छा" होने की लिखित टिप्पणी की थी। उसी तरह राँची की कार्यकारी दण्डाधिकारी, श्रीमती श्वेता कुमारी गुप्ता ने निर्मला शिशु निकेतन की प्रशंसा में लिखा कि यहाँ "बच्चों की देखभाल के उत्तम वातावरण" की व्यवस्था है।

जहाँ तक बच्चों को गोद लेने के मामले में आश्रय संस्था के किन्हीं कर्मियों की साठगाँठ का सवाल है, मीडिया ने गोद लेने वालों और शिशुओं की अविवाहित माताओं की शिनाख्त, उनके पते और शिशुओं की विशेष जानकारियों को बेहयायी से सार्वजनिक कर दिया। प्रतिनिधि मण्डल ने इस कदम को पूर्णत: अनैतिक और गैरकानूनी करार दिया। उन्होंने आगे कहा कि आतंकवाद रोधी दस्ता, जिला पुलिस थानों और ई॰ओ॰डबलयू॰ सी॰आई॰डी॰ द्वारा जाँच अभियान शुरू करने के पहले ही अखबारों में ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध आधारहीन, बदनीयती से भरे और दोषारोपण के रिपोर्ट छपने लगे थे। जहाँ तक मिशनरियों के 47 गैरसरकारी संगठनों पर पड़े तथाकथित "छापे" की बात है, प्रतिनिधि मण्डल ने साफ किया कि अति उतावली मीडिया ने किन्हीं सरकारी विभागों द्वारा भेजे गये उपरोक्त दूसरे और तीसरे दौर के नोटिसों को ही छापामारी समझ लिया।

प्रतिनिधि मण्डल ने आगे कहा कि मीडिया द्वारा उछाले गये कीचड़ के विपरीत हमलोग विदेशी मुद्रा नियंत्रण कानून के अन्तर्गत मिले सभी आदेशों/निर्देशों का पूर्णत: पालन कर रहे हैं, उससे सम्बन्धित तमाम रिपोर्ट को सौंप रहे और निर्देश के अनुसार वेबसाइट पर भी डाल रहे हैं। अन्त में प्रतिनिधि मण्डल ने कहा कि "पूर्वाग्रहपूर्ण, दुर्भावनापूर्ण और जानबूझकर तंग करने" के प्रयासों पर अविलम्ब विराम लगाया जाये ताकि मामलों की "स्वतंत्र जाँच" हो सके।

कंधमाल काण्ड को याद किया गया

भुवनेश्वर. अगस्त 25, शनिवार. कंधमाल, ओडिशा में मसीहियों पर घटित नृशंस नरसंहार और अत्याचार की

दसवीं बरसी आज स्थानीय सन्त योसेफ स्कूल परिसर में धन्यवाद, मेलमिलाप और कृपा की भावनाओं के साथ सम्पन्न हुई। कटक-भुवनेश्वर के महाधर्माध्यक्ष, महामान्यवर जोन बरवा, एस॰वी॰डी॰, की अध्यक्षता में अर्पित समारोही पवित्र मिस्सा में 13 धर्माध्यक्ष, 90 पुरोहित और भारी संख्या में विश्वासियों की भागीदारी रही। महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो ने छोटानागपुर की कलीसिया का प्रतिनिधित्व करते हुए इस समारोह में उपस्थित होकर प्रार्थनामय सहभागिता दिखायी। मिस्सा के अन्त में एस॰वी॰डी॰ फादर मरियन ज़ेलाजेक की धन्य घोषणा प्रक्रिया की शुरूआत सम्बन्धी परमधर्मपीठीय उद्घोषणा को पढ़कर सुनाया गया। पोलण्ड में जनमे और नाज़ी नरसंहार से बचकर निकले हुए फादर ज़ेलाजेक ने अपने सम्पूर्ण शेष जीवन को इस महाधर्मप्रान्त के अन्तर्गत अथक सेवा कार्य में बिताया था।

Forthcoming Events

- Clergy meeting for all Archdiocesan priests on 3rd September 2018 in SDC.
- Retreat for Priests of the Archdiocese: first batch during 17 to 22 September 2018 and the second batch from 24 to 29 September 2018 at **Upasna**, Jamshedpur.
- Parish Priests meeting on 12th September 2018 at 8.00am in Archbishop's House

Programme of Archbishop Felix
September 2018

Dates	Events	Time	Place
2	Holy Eucharist with Mahila Sangh	7.00am	St. Mary's Cathedral
3	Clergy Meeting	9.00am	SDC
5	Meeting with Marriage Encounter Group	4.00pm	ABH, Ranchi
9	SCJM Final Vows at Nirmala College	9.00am	Doranda, Ranchi
12	Parish Priest Meeting	9.00am	ABH, Ranchi
13-14	Governing Board Meeting & AGBM of CBCICARD		Delhi
15	Final Vows of OSU Srs.		Kanke Road.
16	Feast of Robert Bellarmine, Diamond Jubilee of the Parish and Golden Jubilee of the School		Parsudih, Jamshedpur
26 -28	Standing Committee Meeting		Bangalore

Bishop Telesphore Bilung's Programme
September 2018

Dates	Events	Time	Place
3	Clergy Meeting	9.00am	SDC
9	Confirmation	6.30am	Banhora
12	Parish Priest Meeting	9.00am	ABH, Ranchi
16-21	SCC Seminar		Pune